नीलामी सूचना संख्या 01/2025/नजारत, जनपद न्यायालय चन्दौली, दिनांक 21.11.2025

कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय चन्दौली।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के पत्र संख्या 2199/37, 2025-26, रामनगर, दिनांक 18.11.2025 के द्वारा जनपद चन्दौली में इन्टीग्रेटेड 37 कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण में बाधक 23 सागौन के वृक्षों की पातन हेतु अनुमति प्रदान की गयी है। जिसके अनुपालन में बाधक 23 सागौन के वृक्षों की नीलामी की जानी है। प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर वाराणसी के पत्र संख्या 2199/37, 2025-26, रामनगर, दिनांक 18.11.2025 के द्वारा कुल 23 सागौन के वृक्षों का मूल्यांकन कर रु. 102854/- नीलामी हेतु निर्धारित किया गया है। उक्त वृक्षों की सार्वजनिक नीलामी जनपद न्यायालय चन्दौली के नजारत अनुभाग में दिनांक 06.12.2025 को अपरान्ह 01.30 बजे नीलामी के लिए गठित समिति के समक्ष निम्म शर्तो पर की जायेगी।

नीलामी की शर्ते

1. जनपद चन्दौली में इन्टीग्रेटेड 37 कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिलाधिकारी कार्यालय के बगल में निर्माणाधीन है, जहाँ उक्त पेड़ों को देखा जा सकता है। पेड़ जहाँ हैं उसी हालत में उसका विक्रय नीलामी समिति द्वारा नियत तिथि/स्थान पर किया जायेगा। बोली बोलने वाले की अपनी जिम्मेदारी होगी कि वह बोली बोलने से पहले सभी 23 पेड़ि का भली-भाँति निरीक्षण कर लें।

2. नीलामी के लिए गठित समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर दें। अन्तिम उच्चतम् बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रुप से स्वीकार की जायेगी।

3. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली दाता को बोली बोलने से पूर्व अग्रिम के रुप में रु. 10,000/- जमा करके टोकेन प्राप्त करना होगा।

4. नीलामी के अन्त में सर्वोच्च बोली दाता को बोली की आधी धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि नीलामी के स्वीकार होने के उपरान्त जमा करनी होगी। यदि उच्चतम बोली बोलने वाला व्यक्ति यह धनराशि जमा नही करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा पुन: नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

5. बोली की अन्तिम रुप से स्वीकृत होने के पश्चात उसकी सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर उच्चतम् बोली दाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करके पेड़ को अपने खर्चे पर कटवाकर ले जाना होगा। यदि सम्बन्धित द्वारा निर्धारित समय में परिसर से पेड़ नही कटवाया जाता है तो कार्यालय में जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित बोली दाता का होगा।

6. जब तक समिति द्वारा स्वीकार की गयी अन्तिम बोली को समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अन्तिम रुप से अनुमोदित नही किया जाता है, तब तक नीलाम किये गये पेड़ों की चौकसी करने के लिये वॉछित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी उच्चतम बोली बोलने वाले वयक्ति की होगी

7. नीलामी की बोली में वही व्यक्ति भाग ले सकते है जिनके ऊपर विभाग का कोई बकाया अवशेष न हो।

8. नीलामी स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को है।

9. नीलामी स्वीकृत करने के पूर्व किसी स्तर पर बिना पूर्व सूचना दिये नीलामी निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है।

10. नीलामी लेने वाले क्रेता/ठेकेदार का पंजीयन वन विभाग में हुआ हो।

11. नीलामी लेने के पश्चात क्रेता/ठेकेदार द्वारा वन विभाग से पातन अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त ही वृक्षो का पातन किया जायेगा, तथा नियमानुसार प्रकाष्ठ अभिवहन वन विभाग द्वारा जारी अभिवहन पास प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।

Paritosh Shrestha

प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-I
जनपद न्यायालय चन्दौली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्रीमान् निबन्धक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् जनपद न्यायाधीश चन्दौली को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान् जिलाधिकारी, चन्दौली।
4. अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व चन्दौली।
5. जनपद न्यायालय चन्दौली के नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला चन्दौली की वैधानिक बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. सिवलि जज (जू.डि.) चकिया चन्दौली को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
7. वन मण्डल अधिकारी, रामनगर, वाराणसी को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
8. श्रेत्रीन वनाधिकारी चन्दौली को प्रचार-प्रसार हेतु।
9. जिला सूचना अधिकारी, चन्दौली को शासनादेश संख्या 562/उन्नीस-2-2007-1007/74(T.C.) दिनांक 04.07.2007 के अनुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र में निशुल्क विज्प्ति प्रकाशित कराने हेतु।
10. नाजिर, जिलाधिकारी, चन्दौली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
11. नाजिर, मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग वाराणसी एवं ई.पी.सी. कान्ट्रैक्टर को सूचनार्थ प्रेषित।

Paritosh Shrestha

प्रभारी अधिकारी नजारत/
अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-I
जनपद न्यायालय चन्दौली।